122

57 31

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : एफ–31(30)आर.टी.आई./आयोग/11/डी– 527 दिनांक : 6-2-2012

आदेश

आदेश क्रमांक डी–31(30)आर.टी.आई./आयोग/11/डी–3837 दिनांक 16.09.2011 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारियों को राजस्थान सूचना आयोग में उनसे संबंधित विचाराधीन अपीलों/परिवादों में निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण के स्टैंडिंग काउंसेल की सहायता से अपीलोत्तर तैयार कर समय पर प्रस्तुत करने तथा राजस्थान सूचना आयोग में प्रतिदिन सुनवाई हेतु निर्धारित प्रकरणों की सूची राजस्थान सूचना आयोग की वेब साईट **http://ric.rajasthan.gov.in/** से आहरित कर निर्धारित सुनवाई तिथि को विचाराधीन अपीलों/परिवादों से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड व प्राधिकरण के स्टैंडिंग काउंसेल के साथ संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारियों को व्यक्तिशः स्वयं उपस्थित होने बाबत निर्देश जारी किये गये हैं।

दिनांक 15.12.2011 को सचिव, जविप्रा व दिनांक 16.01.2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग से हुई वार्ता में भी माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कुछ प्रकरणों में जयपुर विकास प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी के अधीनस्थ अराजपत्रित स्टाफ/रिटायर्ड स्टाफ जिनको विचाराधीन प्रकरण से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती है, सुनवाई में उपस्थित हो रहे हैं। यही स्थिति धारा 19(1) में प्रथम अपील की सुनवाई में होने की जानकारी दी गई है।

अतः जविप्रा के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों के निष्पादन हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 15.05.2008, 11.06.10, 09.11.10, 12.01.11 तथा दिनांक 16.09.2011 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। धारा 19(1) में प्रथम अपील की सुनवाई तिथि पर प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष राज्य लोक सूचना अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेगें तथा माननीय आयोग के समक्ष निर्धारित सुनवाई तिथि पर स्वयं राज्य लोक सूचना अधिकारी मय अधिवक्ता आवश्यक रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अपरिहार्य कारणों से ही सुनवाई में उप नगर नियोजक/तहसीलदार/अधिशाषी अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी/सहायक अभियन्ता/कार्यालय अधीक्षक के स्तर के कार्मिक ही संबंधित प्रकरण का अध्ययन कर उपस्थित होने हेतु अधिकृत किया जावे।

इस कार्यालय को यह भी अवगत कराया गया है कि प्रथम अपील पर पारित निर्णयों में प्रदत्त निर्देशों के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से राजस्थान सूचना आयोग में अत्यधिक मात्रा में परिवाद दर्ज हो रहे है, जिसमें प्रथम अपील अधिकारी को अपने आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु नोटिस प्राप्त हो रहे हैं।

.....2

अतः जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी राज्य लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रथम अपील पर पारित निर्णयों में प्रदत्त निर्देशों की पालना निर्णय में अंकित समयावधि के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त अपीलीय निर्णयों की अवज्ञा कारित किये जाने के कम में संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारियों के विरूद्ध संविधिक प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्यधीन किये जाने वाले समस्त पत्राचार तथा प्रथम व द्वितीय अपीलों और परिवादों के उत्तर में राज्य लोक सूचना अधिकारियों/अन्य अधिकारियों द्वारा अपना नाम, पदनाम कोष्ठक में आवश्यक रूप से अंकित किया जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत धारा 6(1) में प्राप्त अनुरोध पत्र, धारा 19(1) में प्राप्त प्रथम अपील प्रार्थना पत्र व राजस्थान सूचना आयोग में प्रस्तुत होने वाले परिवाद, अपील प्रार्थना पत्र के समय पर निष्पादन कार्यवाही के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आयोजित पाक्षिक बैठक में भी समीक्षा की जायेगी। समीक्षा बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण के पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट तैयार कर बैठक में उपस्थित होने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा जारी परिपत्र कमांक प–22(16)प्रसु/सू.अ.प्र./2010 दिनांक 16.12.2010 में जारी दिशा निर्देशानुसार सभी राज्य लोक सूचना अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों की राशि जविप्रा कोष की मद से जमा करवाने हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कोई पत्रावली प्रेषित नहीं की जायेगी। उक्त शास्ति की राशि संबंधित उत्तरदायी राज्य लोक सूचना अधिकारी/कार्मिक द्वारा ही वहन की जायेगी।

उक्त निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना की जायेगी और उक्त संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के संबंध में किसी प्रकार की अनभिज्ञता अक्षम्य होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

जयपुर विकास आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान सूचना आयोग, सी–विंग, वित्त विभाग, जन पथ, राजस्थान विधानसभा के पास, जयपुर राजस्थान को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (वित्त) जविप्रा को भेजकर लेख है कि राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि का भुगतान जविप्रा कोष से नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।
5. निदेशक (विधि/आयोजना/अभियान्त्रिकी/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति. आयुक्त (पूर्व/भूमि/पुनर्वास), जविप्रा, जयपुर।
7. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
8. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
9. राज्य लोक सूचना अधिकारी, ... जविप्रा, जयपुर।
10. श्री सन्तोष जैमन/श्री अमित शर्मा, प्राधिकरण अभिभाषक (एस.टी.आई.), जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली

संयुक्त आयुक्त
(आर.एम.एण्ड सी.)